विचार बिन्दु

जीवन एक फूल है और प्रेम उसका मधु। –ह्यूगो

राजस्थान पंचायती राज में साक्षरता की भूमिका

राजस्थान में पंचायती राज और साक्षरता का संबंध विकास की नींव जैसा है। जहाँ एक ओर पंचायतें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने का माध्यम हैं, वहीं दूसरी ओर साक्षरता नागरिकों को इन प्रक्रियाओं में सार्थक ढंग से भाग लेने, अधिकारों को समझने और अपने हकों की माँग करने में सक्षम बनाती है।

73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत–ये तीनों स्तर मिलकर शिक्षा के बुनियादी ढाँचे, स्कूलों के संचालन, अध्यापकों की उपस्थिति और छात्रों के नामांकन जैसे मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज के बाद प्राथमिक स्कूलों में नामांकन, शिक्षकों की उपस्थिति और निगरानी में सुधार आया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का प्रबंधन अब स्थानीय प्रतिनिधियों की देखरेख में होता है, जिससे जन–भागीदारी बढ़ी और शिक्षा के प्रति सामुदायिक जिम्मेदारी का भाव मजबूत हुआ।

साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण का मूल साधन है। जब ग्रामीण नागरिक पढ़–लिख सकते हैं, तो वे पंचायत की बैठकों में सक्रिय भाग ले पाते हैं, योजनाओं की जानकारी समझ पाते हैं, आवेदन लिख पाते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा पाते हैं। राजस्थान में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों पर हुए शोध बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, वहाँ सामाजिक प्रतिबंध कम हुए। कई महिला प्रतिनिधियों ने अपनी कम साक्षरता के कारण झेली गई कठिनाइयों को देखकर अपनी बेटियों को पढ़ाने का संकल्प लिया। इस प्रकार साक्षरता पीढ़ी–दर–पीढ़ी परिवर्तन का इंजन बनती है।

1991 में राजस्थान की साक्षरता दर केवल 38.6 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 52.2 प्रतिशत से काफी नीचे थी। लेकिन 1991 से 2001 के बीच राजस्थान ने देश में साक्षरता वृद्धि की सबसे ऊँची दर दर्ज की कुल मिलाकर लगभग 23–24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पुरुष साक्षरता 54.99 से बढ़कर 76.46 प्रतिशत हुई, जबकि महिला साक्षरता 20.44 से बढ़कर 44.34 प्रतिशत तक पहुँची। फिर भी, राजस्थान कई वर्षों तक देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता रहा। निरक्षरता, खासकर महिलाओं और अनुसूचित जाति–जनजाति के बीच, एक गंभीर चुनौती बनी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से पढ़ना–लिखना अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य लाखों निरक्षरों को साक्षर बनाना था।

राजस्थान सरकार के पढ़ना–लिखना अभियान में ग्राम पंचायत स्तर पर एक स्वयंसेवक को दस निरक्षरों को साक्षर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्वयंसेवकों का चयन पीईईओ (प्राथमिक शिक्षा अधिकारी) के माध्यम से होता है और उन्हें पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार पंचायतें साक्षरता अभियानों की रीढ़ बन गईं।

हालिया वर्षों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर डिजिटल साक्षरता, ई–लाइब्रेरी और रोजगार प्रेरक प्रशिक्षण का केंद्र बनेंगे। पहले चरण में 2,126 पंचायतों में ये केंद्र खोले जाने हैं, और लक्ष्य है कि 11,000 से अधिक पंचायतों तक इसका विस्तार हो। इन केंद्रों की देखरेख और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सीधे ग्राम पंचायत को दी गई है।

आज के समय में साक्षरता केवल पढ़ना-लिखना नहीं, बल्कि डिजिटल कौशल भी शामिल है। राजस्थान सरकार की बढ़ता राजस्थान जैसे पहलों के तहत डिजिटल साक्षरता को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल ज्ञान केंद्रों के माध्यम से युवाओं को कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल साक्षरता से ग्रामीण नागरिक ऑनलाइन आवेदन, योजनाओं की जानकारी, बैंकिंग सेवाएँ और रोजगार के अवसरों तक पहुँच पा रहे हैं। पंचायतें इन केंद्रों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर तकनीकी जागरूकता बढ़ रही है।

साक्षरता और विकास एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं। जब पंचायतें शिक्षा पर ध्यान देती हैं, तो साक्षरता बढ़ती है। बढ़ी हुई साक्षरता से नागरिक अधिक सजग होते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और पंचायतों से अधिक माँगें करते हैं। इससे पंचायतें और अधिक उत्तरदायी बनती हैं और विकास के बेहतर परिणाम आते हैं।

राजस्थान में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिससे हजारों महिलाएँ स्थानीय स्तर पर नेता बनीं। लेकिन शुरुआती दौर में कई चुनी गई महिला प्रतिनिधि निरक्षर या केवल कार्यात्मक रूप से साक्षर थीं। इससे उन्हें बैठकों में बोलने, दस्तावेज समझने और निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। समय के साथ साक्षरता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने इस स्थिति में सुधार किया। जिन क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों की साक्षरता बढ़ी, वहाँ उनकी भागीदारी अधिक प्रभावी हुई।

उन्होंने न केवल स्वयं सीखा, बल्कि अपने परिवार और समुदाय में शिक्षा के महत्व को फैलाया। कई महिला सरपंचों ने अपने गाँव में स्कूल खुलवाने, बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि और बाल विवाह रोकने जैसे कदम उठाए।

आज के समय में साक्षरता केवल पढ़ना–लिखना नहीं, बल्कि डिजिटल कौशल भी शामिल है। राजस्थान सरकार की बढ़ता राजस्थान जैसे पहलों के तहत डिजिटल साक्षरता को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल ज्ञान केंद्रों के माध्यम से युवाओं को कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल साक्षरता से ग्रामीण नागरिक ऑनलाइन आवेदन, योजनाओं की जानकारी, बैंकिंग सेवाएँ और रोजगार के अवसरों तक पहुँच पा रहे हैं। पंचायतें इन केंद्रों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर तकनीकी जागरूकता बढ़ रही है।

साक्षरता और विकास एक–दूसरे को बढ़ावा देते हैं। जब पंचायतें शिक्षा पर ध्यान देती हैं, तो साक्षरता बढ़ती है। बढ़ी हुई साक्षरता से नागरिक अधिक सजग होते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और पंचायतों से अधिक माँगें करते हैं। इससे पंचायतें और अधिक उत्तरदायी बनती हैं और विकास के बेहतर परिणाम आते हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में पंचायतों ने शिक्षा के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में स्कूलों का बुनियादी ढाँचा सुधरा, छात्रों की उपस्थिति बढ़ी और शिक्षकों की निगरानी मजबूत हुई। शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के प्रयासों को औसत से अच्छे स्तर का विकास माना गया है।

राजस्थान में पंचायती राज और साक्षरता के संबंध में कई चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की कमी, बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर और वयस्क साक्षरता अभियानों की सीमित पहुँच कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। साथ ही, डिजिटल साक्षरता तक पहुँच में असमानता भी एक चुनौती है। लेकिन अवसर भी उतने ही बड़े हैं। पंचायतों की स्थानीय पहुँच, महिला प्रतिनिधित्व की मजबूती, और सरकार की नई पहलें जैसे अटल ज्ञान केंद्र और डिजिटल साक्षरता अभियान, इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। यदि पंचायतें साक्षरता को अपने विकास एजेंडे में केंद्र में रखें, तो राजस्थान में ग्रामीण परिवर्तन की गति तेज हो सकती है।

राजस्थान में पंचायती राज और साक्षरता एक–दूसरे के पूरक हैं। पंचायतें साक्षरता अभियानों को धरातल पर उतारने का माध्यम हैं, और साक्षरता पंचायती प्रक्रियाओं को सार्थक बनाने की कुंजी है। जब गाँव का हर नागरिक पढ़–लिख सकेगा, डिजिटल रूप से सक्षम होगा और अपने अधिकारों को समझ सकेगा, तभी पंचायती राज का असली उद्देश्य पूरा होगा ग्रामीण स्वशासन और सतत विकास।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

कांवड़ – आस्था की शक्ति, व्यवस्था की परीक्षा और अलवर का सबक

मदन सिंह काला

सावन का महीना आते ही उत्तर भारत की सड़कें केसरिया हो जाती हैं। कंधे पर बांस की बहंगी, दोनों ओर बराबर वजन से लटके दो जल–कलश और मुंह में बम–बम भोले का उद्घोष। इसी बहंगी को कांवड़ कहा जाता है और इसे लेकर चलने वाले को कांवड़िया। कांवांरथी शब्द से बना यह शब्द अपने आप में संतुलन का प्रतीक है। यही संतुलन आज की कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा डगमगा रहा है।

वेदों में कांवड़ शब्द का सीधा उल्लेख नहीं है। पुराण इसे समुद्र मंथन से जोड़ते हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की कथा के अनुसार मंथन से निकले हलाहल विष को सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने पी लिया, पार्वती ने कंठ में रोक दिया जिससे वे नीलकंठ कहलाए, लेकिन विष की जलन शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगाजल चढ़ाया। वहीं से जलाभिषेक की परंपरा मानी जाती है। दूसरी लोकमान्यता परशुराम, श्रवण कुमार, रावण और श्रीराम से जुड़ी है। इतिहासकार प्रो. डी.पी. दुबे बताते हैं कि ब्रिटिश दस्तावेजों तक में संगठित कांवड़ यात्रा का वर्णन नहीं है। 1907 में प्रकाशित विष्णुभट गोडसे के प्रवास वर्णन में गंगाजल लेकर महाराष्ट्र लौटने का जिक्र है और सुल्तानगंज से देवघर की परंपरा 18वीं सदी में आकार लेती दिखती है। आधुनिक विशाल रूप इसे 1980–90 के दशक के बाद मिला जब सड़कें, ट्रक और ऑडियो कैसेट ने इसे गांव–गांव तक पहुंचा दिया। आज हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री, गढ़मुक्तेश्वर और सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव और गांव के शिवालयों तक जल चढ़ाया जाता है।

लोगों ने इसे क्यों अपनाया? पहला कारण है सावन में शिव को जल अर्पण से मनोकामना पूर्ति की मान्यता, दूसरा पैदल चलकर तप करने को पुण्य मानना और तीसरा समूह में चलने की सामुदायिक भावना। पहले यह शांत, व्रत–नियम वाली यात्रा थी। आज यह जन–सैलाब है। प्रशासन के अनुसार 2023 में हरिद्वार में 12 दिन में 4 करोड़ कांवड़िए आए।

धर्मशास्त्र में दो व्यवस्थाएं हमेशा अलग रही हैं – राजदंड और प्रायश्चित। अपराध सामाजिक कृत्य है जिसका दंड राजा देता था, पाप आत्मिक बोध है जिसका प्रायश्चित व्यक्ति करता था। कोई भी स्मृति यह नहीं कहती कि तीर्थ करने से राजा का दंड माफ हो जाएगा। इसलिए यात्रा को सजा से बचने का शॉर्टकट मानना शास्त्रीय रूप से गलत है। और यदि यह मान भी लिया जाए कि जल चढ़ाने से पाप धुल जाते हैं तो फिर व्यक्ति फिर से पाप करेगा और पाप बढ़ते जाएंगे, यह तर्क भी महत्वपूर्ण है। प्रायश्चित की परिभाषा में पश्चाताप और पुनः न करने का संकल्प अनिवार्य है। जानबूझकर किया गया अपराध केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं कटता। शास्त्रीय दृष्टि से यह यात्रा सभी वर्णों के लिए खुली है। शिव को आशुतोष कहा गया है – शीघ्र प्रसन्न होने वाले। उनकी पूजा में जाति बंधन नहीं, नियम बंधन है – ब्रह्मचर्य, शाकाहार, पैदल चलना, नशे से दूरी। आज सड़क पर हर जाति, वर्ग और महिलाएं भी कांवड़ लेकर चल रही हैं। भौगोलिक रूप से इसका जन्म उत्तर भारत में हुआ पर अब यह पूरे भारत में फैल गई है। तमिलनाडु में मुरुगन के लिए कावड़ी आट्टम और महाराष्ट्र में गंगाजल ले जाने की परंपरा इसका प्रमाण है।

अब सबसे जरूरी बात – राजनीति और पंथनिरपेक्षता। 2014 के बाद कांवड़ यात्रा का स्वरूप केवल धार्मिक नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में 2018 से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, मंत्रियों द्वारा शिविरों का उद्घाटन और सरकारी खजाने से सुविधाएं देना, इसे राज्य–धर्म के सहयोग से आगे ले जाकर एक धर्म विशेष के प्रचार जैसा रूप देता है। संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार राज्य किसी एक पंथ के प्रचार के लिए कर के पैसे का उपयोग नहीं कर सकता और पंथनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों से समान दूरी है। जब एक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और पुलिस बैंड लगता है, वहीं दूसरे समुदाय के जुलूसों के लिए अनुमति कठिन हो जाती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पिछले दो वर्षों में कांवड़ मार्ग पर मुस्लिम दुकानदारों के नाम के बोर्ड लगाने के आदेश, होटलों की पहचान के लिए कोड जैसे आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। जब धर्म की यात्रा में यह पूछा जाने लगे कि जल किसने बेचा, फल किसने बेचा, तो यह शिव–भक्ति से हटकर हिंदू–मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति बन जाती है।

इस राजनीतिक शोर के बीच अलवर की घटना हमें जमीन पर लौटाती है। 23 जुलाई 2025 को राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के बीचगांवा गांव में हरिद्वार से लौटे कांवड़ियों के साथ बड़ा हादसा हुआ। सुबह करीब 7:30 बजे 500 से ज्यादा लोग डीजे ट्रक के साथ परिक्रमा कर रहे थे और गांव के शिव मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी डीजे ट्रक 11,000 वोल्ट की लटकती हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट पूरे ट्रक और जमीन में फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 50 से 60 लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़े। दो कांवड़ियों – 22 वर्षीय गोपाल और 40 वर्षीय सुरेश प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई और 30 से अधिक लोग झुलस गए, जिनमें महिलाएं भी थीं। ग्रामीणों ने बताया कि लटकते तारों की शिकायत पहले कई बार की गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया। अलवर की यह दुर्घटना केवल बिजली विभाग की लापरवाही नहीं है, यह हमारी प्राथमिकताओं की पोल खोलती है। हम हेलीकॉप्टर से फूल तो बरसा सकते हैं, लेकिन लटकते 11 केवी तार को ठीक नहीं कर सकते।

इसलिए वैज्ञानिक युग में इस यात्रा की प्रासंगिकता तभी है जब यह तपस्या बनी रहे, तमाशा नहीं। इसके लिए एक ठोस सुधार जरूरी है – जिस प्रकार वाहन चलाते समय शराब पीने पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच होती है, उसी प्रकार कांवड़ मार्ग पर भी कांवड़ियों का ब्रीदिंग टेस्ट अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने भांग, गांजा, शराब या किसी अन्य नशे का सेवन तो नहीं कर रखा है। यदि प्रशासन शिविरों में प्रवेश से पहले, डीजे वाहनों के चालकों और परिक्रमा करने वाले जत्थों की ब्रीदिंग जांच अनिवार्य कर दे, तो अलवर जैसे हादसे और सड़क पर होने वाली हिंसा दोनों पर रोक लगेगी। जल लाइए, लेकिन नदी को गंदा मत कीजिए। भक्ति कीजिए, लेकिन एंबुलेंस का रास्ता मत रोकिए। और राज्य से मांग कीजिए कि वह पुष्प वर्षा से पहले तार ठीक करे, धर्म से पहले सुरक्षा दे।

–मदन सिंह काला,
पूर्व आई.ए.एस अधिकारी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनर्परिकल्पना : एक परिवर्तनकारी शिक्षा नीति की ओर

गौरहरि बेहरा

जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई थी, तो यह भारतीय शिक्षा को बुनियादी स्तर पर एक नया आकार देने के साहसिक वादों के साथ सामने आई थी। बहु–विषयक अध्ययन, लचीलेपन, आलोचनात्मक सोच, व्यावसायिक कौशल, बहुभाषावाद, प्रौद्योगिकी और भारतीय ज्ञान परंपराओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का समर्थन करते हुए, इस नीति ने पुराने ढर्रे को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया। हालाँकि, जैसे–जैसे वर्ष बीते हैं, एक गहरा और अधिक गंभीर प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है।

क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा में वास्तविक परिवर्तन ला रही है, या यह उन ढांचों का मुकाबला किए बिना, जो इसे पैदा करते हैं, केवल एक असमान व्यवस्था का पुनर्गठन कर रही है? यह केवल योजनाओं को अमल में लाने भर का मामला नहीं है। यह हमें इस बात पर विचार करने की चुनौती देता है कि वास्तव में शिक्षा का असली मर्म क्या है।

शिक्षा कक्षाओं, पाठ्यपुस्तकों और परीक्षाओं से कहीं अधिक है। यह सत्ता और ज्ञान का एक ऐसा रणक्षेत्र है, जो यह तय करता है कि किसकी आवाजें सुनी जाएं, किसकी कहानियां सुनाई जाएं और किसके अनुभवों को सीखने के ताने–बाने में बुना जाए। किसे वैध ज्ञान माना जाए, किस भाषा का उत्सव मनाया जाए, और समाज किस तरह के नागरिक को गढ़ना चाहता है–ये सभी बातें शैक्षिक प्राथमिकताओं पर टिकी हैं। मिशेल फूको का यह विचार कि ज्ञान और सत्ता एक–दूसरे से अभिन्न हैं, शैक्षिक सुधारों पर विचार करते समय विशेष रूप से प्रासंगिक लगता है। शिक्षा केवल सूचनाएं आगे नहीं बढ़ाती; बल्कि यह तय करती है कि कौन से सत्य उभरकर मुख्यधारा में आते हैं और किन्हें हाशिए पर छोड़ दिया जाता है।

स्लावोय जिझेक का दृष्टिकोण इसमें एक और आयाम जोड़ता है। शिक्षा उन वैचारिक मान्यताओं को दोबारा पैदा कर सकती है जो सामाजिक व्यवस्थाओं को स्वाभाविक, अपरिहार्य और निर्विवाद बना देती हैं। एक परिवर्तनकारी शिक्षा नीति को केवल कौशल और मापने योग्य परिणाम तैयार करने से आगे जाना चाहिए। इसे छात्रों को उन संरचनाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिनमें वे रहते हैं। बुनियादी सवाल केवल यह नहीं है कि शिक्षा छात्रों को क्या करने में सक्षम बनाए, बल्कि यह है कि वह उन्हें क्या कल्पना करने में सक्षम बनाती है।

पहला अनिवार्य बदलाव यह है कि शिक्षा को केवल रोजगार और आर्थिक विस्तार के साधन के रूप में देखना बंद किया जाए। यद्यपि नौकरियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा की आत्मा को परिभाषित नहीं करना चाहिए। स्कूल और विश्वविद्यालय किसी बाज़ार के लिए मज़दूर तैयार करने वाली असेंबली लाइनें नहीं हैं। इसके बजाय, शिक्षा को ऐसे मनों को सींचना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से सोच सकें, यथास्थिति को चुनौती दे सकें, समाज में सत्यनिष्ठा के साथ आचरण कर सकें, और हमारे सामूहिक जीवन के नए तौर–तरीकों की कल्पना कर सकें। असली लक्ष्य मानव पूंजी के निर्माण से आगे बढ़कर मानवीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए शिक्षा के बढ़ते बाज़ारीकरण का सामना करना आवश्यक है। जब शिक्षा बाज़ार की एक वस्तु बन जाती है, तो छात्र उपभोक्ता, शिक्षक सेवा प्रदाता और विश्वविद्यालय ब्रांड बन जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच क्रय शक्ति पर निर्भर होने लगती है। ऐसी व्यवस्था अनिवार्य रूप से सामाजिक असमानता को ही बढ़ावा देती है।

शिक्षा को एक सार्वजनिक भलाई और सामाजिक अधिकार के रूप में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में निरंतर सार्वजनिक निवेश, पर्याप्त छात्रवृत्तियां और शोध फ़ेलोशिप, सुसज्जित पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं, तथा डिजिटल संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। समानता का अर्थ हर किसी को एक जैसे संसाधन देना नहीं हो सकता। जिन छात्रों को ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा गया है, उन्हें वास्तव में समान अवसर देने के लिए अधिक सहारे की आवश्यकता है।

यह हमें शैक्षिक न्याय के केंद्र तक ले जाता है। एक साधन–संपन्न शहरी छात्र और एक गरीब ग्रामीण परिवार के पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी के बीच के अंतर की कल्पना कीजिए; उनकी शुरुआती रेखाएं एक–दूसरे से कोसों दूर हैं। जाति, वर्ग, लिंग, दिव्यांगता, भाषा, क्षेत्र, जनजातीय पहचान और आर्थिक अभाव जैसे कारक आज भी शैक्षिक अवसरों की सीमाएं तय करते हैं। एक वास्तविक लोकतांत्रिक शिक्षा नीति को औपचारिक समानता से आगे बढ़कर वास्तविक, सारभूत समानता के लिए प्रयास करना चाहिए। आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई केवल प्रशासनिक औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक अन्यायों को सुधारने के सशक्त माध्यम हैं। शिक्षा के वि–औपनिवेशीकरण पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ केवल पश्चिमी ग्रंथों को हटाकर उनकी जगह भारतीय ग्रंथों को रख देना नहीं हो सकता। इससे एक प्रमुख ज्ञान केंद्र को दूसरे से बदलने का जोखिम रहता है। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय ज्ञान से किन्हें बाहर रखा गया है।

भारत की बौद्धिक विरासत में कई धाराएं शामिल हैं, जिनमें दलित परंपराएं, देशज और जनजातीय ज्ञान, महिलाओं के दृष्टिकोण, मौखिक इतिहास, क्षेत्रीय साहित्य, लोक संस्कृति, शिल्प कौशल, कृषि पद्धतियां और पारिस्थितिकीय समझ शामिल हैं। भारतीय ज्ञान कभी भी एकरस नहीं रहा। यह हमेशा से विविध रहा है, और इसमें कई बार अंतर्विरोध भी रहे हैं। वि–औपनिवेशीकरण सांस्कृतिक एकरूपता में तब्दील नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, हमें पश्चिमी, भारतीय, देशज, बहुजन, ग्लोबल साउथ, स्थानीय और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रणालियों के बीच खुले संवाद की आवश्यकता है।

भाषा इस विमर्श के केंद्र में है। वैश्विक ज्ञान और अवसरों के लिए अंग्रेजी आज भी एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन इसका प्रभुत्व कुछ लोगों के लिए शिक्षा को दुर्गम बना सकता है। यदि अंग्रेजी की जगह किसी एक भारतीय भाषा को थोप दिया जाए, तो इससे एक नए प्रकार की भाषाई बाधा खड़ी हो सकती है। चूंकि भारत में कई भाषाएं हैं, इसलिए छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो उन्हें एक से अधिक भाषाओं में सोचने और सृजन करने की स्वतंत्रता दे। भारतीय भाषाओं को केवल संस्कृति के रक्षक की भूमिका से आगे बढ़कर ज्ञान सृजन के जीवंत माध्यम के रूप में विकसित होना चाहिए।

विश्वविद्यालय की परिकल्पना इससे कहीं अधिक व्यापक रूप में की जानी चाहिए। यह केवल रोजगार योग्य स्नातकों को तैयार करने का कारखाना नहीं हो सकता। इसके बजाय, इसे एक ऐसा जीवंत मंच बनना चाहिए जहाँ हर धारणा को चुनौती दी जा सके–चाहे वह व्यवस्था के बारे में हो, बाज़ार के बारे में, समाज के बारे में, या स्वयं विश्वविद्यालय के बारे में। अकादमिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वायत्तता और असहमति का साहस शिक्षा के लिए खतरा नहीं हैं; वे इसकी जीवन–शक्ति हैं। असहमति के बिना विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से एक शांत विश्वविद्यालय नहीं होता; वह केवल एक अनुशासित विश्वविद्यालय हो सकता है।

इस तरह का रूपांतरण शिक्षक की भूमिका की एक साहसिक पुनर्परिकल्पना की मांग करता है। शिक्षकों को नीति के मूक अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान को गढ़ने वाले सक्रिय बुद्धिजीवियों और रचनात्मक साझेदारों के रूप में देखा जाना चाहिए। वे वास्तविक स्वायत्तता, संतुलित कार्यभार, शोध के अवसरों और पाठ्यक्रम को दिशा देने में एक वास्तविक आवाज़ के हकदार हैं। कक्षा को संवाद के एक ऐसे जीवंत स्थान के रूप में विकसित होना चाहिए, जहाँ छात्र और शिक्षक एकतरफा संवाद के बजाय सक्रिय भागीदारी के माध्यम से मिलकर ज्ञान का निर्माण करें।

मूल्यांकन प्रणाली को भी बदलने की आवश्यकता है। परीक्षा–केंद्रित प्रणालियाँ मौलिक सोच के बजाय तयशुदा उत्तरों को रटने को बढ़ावा देती हैं। हमें रचनात्मक अभिव्यक्ति, शोध, आलोचनात्मक विश्लेषण और वास्तविक जनजीवन से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। असली परीक्षा यह नहीं है कि कोई छात्र कितना याद रख सकता है, बल्कि यह है कि वह कितनी गहराई से सवाल कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, सृजन कर सकता है और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। प्रौद्योगिकी नई संभावनाओं के द्वार खोलती है, तो साथ ही जोखिम भी लाती है। डिजिटल शिक्षा में ज्ञान को दूर–दूर तक पहुंचाने की क्षमता है, फिर भी डिजिटल पहुंच की खाई विभाजनों को और गहरा कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और एल्गोरिदम–आधारित शिक्षण शिक्षकों और छात्रों को महज़ आंकड़ों में बदल देने का जोखिम पैदा करते हैं। एआई को मानव अधिगम को समृद्ध करने वाला साधन होना चाहिए, न कि शिक्षक और छात्र के बीच के आत्मीय संबंध को मिटाने वाला। डिजिटल शिक्षा का सच्चा लाभ उठाने के लिए हमें गोपनीयता, पारदर्शिता और सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देनी होगी।

वर्तमान पर्यावरणीय संकट एक गंभीर नई चुनौती प्रस्तुत करता है। जैसे–जैसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का क्षरण बढ़ रहा है, शिक्षा अब केवल आर्थिक विकास और नौकरियों तक सीमित नहीं रह सकती। पर्यावरण मानविकी , पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्र, पर्यावरण इतिहास और पर्यावरण न्याय जैसे विषयों को सीखने के केंद्र में लाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को भी मिसाल कायम करते हुए वास्तविक पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को अपनाना चाहिए।

अंततः, हमें छात्र को केवल एक उपभोक्ता के रूप में देखना बंद करना होगा। छात्र एक शिक्षार्थी, एक नागरिक, एक सक्रिय भागीदार और ज्ञान का सह–निर्माता है। सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक विश्वविद्यालयों को लोकतंत्र को केवल एक विषय के रूप में पढ़ाने से आगे बढ़ना चाहिए; उन्हें छात्रों को व्यवहार में लोकतंत्र का अनुभव करने और उसे आकार देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

भारतीय शिक्षा के सामने असली चुनौती केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कुशलतापूर्वक लागू करने की नहीं है। यह सीखने की बुनियादी नींव की एक साहसिक पुनर्परिकल्पना की मांग करती है। शिक्षा को युवा मनों को केवल यथास्थिति के अनुकूल ढालने से आगे बढ़ना होगा। इसे उन्हें दुनिया के मौजूदा ढांचे पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इस बात की कल्पना करने में सक्षम बनाना चाहिए कि इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हम छात्रों को भविष्य के लिए कैसे तैयार करते हैं, बल्कि यह है कि शिक्षा हमें किस तरह का भविष्य गढ़ने में सक्षम बनाएगी।

यदि ेि 2020 को वास्तव में परिवर्तनकारी बनना है, तो भारतीय शिक्षा को ज्ञान के हस्तांतरण से उसके सृजन की ओर; प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर; पदानुक्रम से संवाद की ओर; बहिष्करण से न्याय की ओर; बाज़ारीकरण से सार्वजनिकता की ओर; और अंधानुकरण से आलोचनात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना होगा। तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह रूपांतरण एक प्रशासनिक सुधार से बढ़कर साबित होगा। यह स्वयं शिक्षा की एक नई परिकल्पना बनेगा और अंततः भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की एक पुनर्परिकल्पना सिद्ध होगा।

–गौरहरि बेहरा,
वरिष्ठ प्रोफेसर, गोरखपुर
विश्वविद्यालय, गोरखपुर

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 18 सितम्बर, 2026

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत–2083, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:45 तक, प्रीति योग दिन 1:35 तक, वणिज करण दिन 1:01 तक, चन्द्रमा रात्रि 10:45 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–कन्या, चन्द्रमा–वृश्चिक, मंगल–मिथुन, बुध–कन्या, गुरू–कर्क, शुक्र–तुला, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज भद्रा दिन 1:01 से रात्रि 2:14 तक है। मंगल कर्क में सायं 4:36 पर प्रवेश करेगा। आज मुक्ता भरण सप्तमी, सन्तान और दुबड़ी सप्तमी है। आज से महालक्ष्मी व्रत आरम्भ होंगे। आज ललिता सप्तमी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर सूर्योदय से 7:48 तक, लाभ–अमृत 7:48 से 10:50 तक, शुभ 12:21 से 1:52 तक, चर 4:54 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल– 10:30 से 12:00 तक, सूर्योदय 6:17, सूर्यास्त 6:25

मेष
पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। यात्रा में परेशानी हो सकती है। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं एवं उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। आज अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच–विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कारणों से भागदौड़ रहेगी और समय खराब होगा। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
मानसिक तनाव दूर होगा। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल–आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
धार्मिक–मांगलिक कार्य के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। शुभ–मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

धनु
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कारणों से भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।